राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	आलोच्य आदेश दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	647/2014 नितिन श्रीवास्तव	1. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर। 2. अति. निदेशक (प्रशासन) जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।	01.09.2014	13.11.2023 एवं 22.05.2014	श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक एवं श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	648/2014 तरूण भटनागर				

आदेश की दिनांक : 02.05.2024

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः उक्त दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 647/2014 नितिन श्रीवास्तव बनाम निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.11.2013 एवं 22.05.2014 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड पे 3600 तथा 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 20.09.2006 से ग्रेड पे 4200 पर फिक्सेशन किया जाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर माह सितम्बर, 1997 में हुई थी और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को दिनांक 20.09.2006 को प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 से 6500–200–10500 निर्धारित किया गया और छठा वेतन के आधार पर अपीलार्थी को ग्रेड पे 4200 में फिक्स किया गया। राजस्थान सिविल

सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में दिनांक 06.04.2013 को नोटिफिकेशन के द्वारा उक्त नियम में संशोधन करते हुये उक्त रिवाईज पे का लाभ दिनांक 01.01.2006 से देने के आदेश पारित किये गये, जिसके अनुसरण में कर्मचारियों से उक्त लाभ लेने हेतु कर्मचारियों से विकल्प पत्र भरवाये गये। अपीलार्थी ने भी विकल्प पत्र भरकर प्रस्तुत किया और इस प्रकार दिनांक 20.09.2006 को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ देने पर अपीलार्थी का ग्रेड पे 4200 बनता है। परंतु आलोच्य आदेश दिनांक 22.05.2014 के द्वारा राशि रूपये 26,895/– का भी भुगतान दिखाते हुये वसूली के आदेश जारी किये गये। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 06.04.2013 से पूर्व अपीलार्थी को जो फिक्सेशन किया गया था, वह नियमानुसार किया गया था। नियमानुसार किसी भी कार्मिक का मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होने के कारण तथा कर्मचारी की बिना गलती के अगर कोई भुगतान कर भी दिया जाता है तो उसको राज्य सरकार द्वारा वसूल नहीं किया जा सकता। परंतु अपीलार्थी द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश नियम एवं विधि के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.11.2013 एवं 22.05.2014 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड पे 3600 तथा 9 वर्षीय चयनित वेतनमान दिनांक 20.09.2006 से ग्रेड पे 4200 पर फिक्सेशन किया जाकर नियमानुसार भुगतान किये जाने के निर्देश फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जबाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.04.2013 के नियम 3–बी में दिये गये स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि ऐसे कार्मिक जिनकी ग्रेड पे 3200, 3600, 4200 है, का वेतन निर्धारण नियम 27 के अनुसार किया जायेगा। अपीलार्थी का वेतन निर्धारण पूर्णतः राज्य सरकार के वित्त विभाग के बनाये गये नियमों के अनुसार किया गया है एवं वसूली आदेश दिनांक 22.05.2014 पूर्णतः राज्य सरकार के बनाये गये नियमों की पालना में वित्त विभाग के अनुमोदन के उपरांत जारी किया गया है। उनका यह भी कथन है कि वित्त विभाग में इस तरह के दो प्रकरण उत्पन्न हुए हैं, जिनमें एक प्रकरण को वित्त विभाग की राय हेतु भिजवाया गया एवं एक अन्य प्रकरण पर वित्त विभाग ने वसूली को सही माना है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को ध्यानपूर्वक सुना एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ अभियंता के पद पर माह सितम्बर, 1997 में हुई थी और 9 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को दिनांक 20.09.2006 को प्रथम चयनित वेतनमान 5000–8000 से 6500–200–10500 निर्धारित किया गया और छठा वेतन के आधार पर अपीलार्थी को ग्रेड पे 4200 में फिक्स किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 में दिनांक 06.04.2013 को नोटिफिकेशन के द्वारा उक्त नियम में संशोधन करते हुये उक्त रिवाईज पे का लाभ दिनांक 01.01.2006 से देने के आदेश पारित किये गये, जिसके अनुसरण में कर्मचारियों से उक्त लाभ लेने हेतु कर्मचारियों से विकल्प पत्र भरवाये गये। अपीलार्थी ने भी विकल्प पत्र भरकर प्रस्तुत किया और इस प्रकार दिनांक 20.09.2006 को प्रथम चयनित वेतनमान का लाभ देने पर अपीलार्थी का ग्रेड पे 4200 बनता है। जहां तक अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.11.2013 के अनुसार वेतन निर्धारण उपरांत ग्रेड पे 3200 से ग्रेड पे 3200 में ही निर्धारित किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी का वेतन निर्धारण पूर्णतः राज्य सरकार के वित्त विभाग के बनाये गये नियमों के अनुसार किया गया है। वित्त विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.04.2013 के नियम 3बी के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ऐसे कार्मिक जिनकी ग्रेड पे 3200, 3600, 4200, का वेतन निर्धारण नियम 27 के अनुसार किया गया है और आदेश दिनांक 06.04.2013 में अवधि दिनांक 01.01.2006 से 30.06.2013 तक के एरियर नहीं देने की बात कही गई है और इस प्रकार विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.11.2013 एवं 22.05.2014 पूर्णतः नियमानुसार जारी किया जाना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थीगण के उक्त तर्कों में कोई बल प्रकट नहीं होने के कारण अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपर्युक्त तालिका में वर्णित अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज फरमाई जाती हैं और अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 03.09.2014 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है। यदि अपीलार्थीगण विभाग में उक्त प्रकरण के मामले में अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 647/2014 नितिन श्रीवास्तव बनाम निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 648/2014 तरूण भटनागर में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य